



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2(2)परावि/प्रशा.1/स्थाना./वि.अ./2010/2111

जयपुर,दिनांक:-7.10.2016

**--:आदेश:-**

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित पंचायत समिति में निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	अधिकारी का नाम सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	कहाँ से (पंचायत समिति)	कहाँ को (पंचायत समिति)	विशेष विवरण
1	कैलाश चन्द अरडावतिया	आदेशों की प्रतीक्षा में	लाडनूँ (नागौर)	रिक्त पद पर
2	नन्दलाल शर्मा	आदेशों की प्रतीक्षा में	लक्ष्मणगढ (अलवर)	जगदीश शर्मा के स्थान पर
3	सुमन	आदेशों की प्रतीक्षा में	अलसीसर (झुन्झुनू)	रिक्त पद पर
4	अनिल कुमार सोनी	आदेशों की प्रतीक्षा में	लूणी (जोधपुर)	गणपतलाल सुथार के स्थान पर
5	रामखिलाडी मीणा	आदेशों की प्रतीक्षा में	बसेडी (धौलपुर)	रिक्त पद पर
6	सुनील छाबडा	आदेशों की प्रतीक्षा में	जायल (नागौर)	रिक्त पद पर
7	विनय मित्र	आदेशों की प्रतीक्षा में	बांदीकुई (दौसा)	शीशराम यादव के स्थान पर
8	मोहित दवे	आदेशों की प्रतीक्षा में	भदेसर (चित्तौडगढ)	रिक्त पद पर
9	चांगदेव सोपान कामठे	आदेशों की प्रतीक्षा में	शिव (बाडमेर)	रिक्त पद पर
10	गणपत लाल सुथार	लूणी (जोधपुर)	आदेशों की प्रतीक्षा में	-
11	शीशराम यादव	बांदीकुई (दौसा)	बहरोड (अलवर)	रिक्त पद पर
12	जगदीश शर्मा	लक्ष्मणगढ (अलवर)	आदेशों की प्रतीक्षा में	-
13	तनुराम	आदेशों की प्रतीक्षा में	सोजत (पाली)	रिक्त पद पर
14	रामू मीणा	आदेशों की प्रतीक्षा में	अकलेरा (झालावाड)	रिक्त पद पर
15	बाबूसिंह	आदेशों की प्रतीक्षा में	बालेसर (जोधपुर)	रिक्त पद पर


उक्त अधिकारी अविलम्ब अपनी उपस्थिति कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी। उक्त अधिकारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। आदेशों की प्रतीक्षा में किये गये विकास अधिकारियों का मुख्यालय पंचायती राज विभाग जयपुर रहेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)  
अति. आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त सम्बन्धित।
7. जिला कलेक्टर सम्बन्धित।
8. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति सम्बन्धित।
10. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
11. ए.सी.पी. मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
12. आदेश पत्रावली।

  
(राजेन्द्र शंखर भक्कड)  
अति. आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव